

नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उप निदेशक उद्यान खंड प्रथम

सेक्टर 39, नौएडा

पत्र सं० नौएडा/उप नि० उ०/खं-1/2008/ 1788
दिनांक 24-3-09

प्राचार्या

मार्डन स्कूल एस०-1। सेक्टर 11 नौएडा

विषय:- हरितपट्टिका से 20 फीट क्षेत्र छोड़ने के सम्बन्धित पत्र दिनांक 24.03.09 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया आप अपने उपयुक्त पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें आपने कहा है कि मार्डन स्कूल से जुड़ी सड़क की चौड़ाई मात्र 12.5 फीट है जो कदाचित त्रुटि पूर्ण है। इस सड़क की चौड़ाई 9 मीटर (39.37 फीट) है। आपने हरितपट्टिका से 20 फुट स्थल बसों के घुमाव हेतु छोड़ने के लिए आग्रह किया है। हरित क्षेत्रों को सुरक्षित रखना राष्ट्रीय नीति है और पर्यावरण सन्तुल के लिए हरित क्षेत्रों को अक्षुण्ण रखना अनिवार्य है।

अतः आपका प्रत्यावेदन पोषणीय नहीं है और पुँजित किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि बसें स्कूल परिसर में खड़ी करें।

(राजेन्द्र सिंह)
उप निदेशक उद्यान
खण्ड - प्रथम

प्रतिलिपि

1. निदेशक (उद्यान) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप-सचिव नौएडा का कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक महाप्रबंधक संस्थागत को कृपया इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से स्कूल की बसें स्कूल परिसर में ही खड़ी करने सम्बन्धी निर्देश देने का कष्ट करें। स्कूल का एक मात्र उद्देश्य हरित पट्टिका के लिए इंगित भूमि का पार्किंग स्थल के लिए प्रयोग करना रहा है। विगत माह इसी स्कूल द्वारा हरितपट्टिका के स्कूल के सामने के भाग को अनुज्ञ पर लेने का भी अनुरोध किया था। आवेदन पोषणीय नहीं पाया गया था।

उप निदेशक उद्यान
खण्ड - प्रथम

